छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़,
शंकरनगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 182/2006</u>

श्री भावीन जैन, ... आवेदक
डी–6, आम्रपाली सहकारी गृह
निर्माण संस्था, पचपेड़ी नाका,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी . . . . . अनावेदक
सामान्य प्रशासन विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

(6 जुलाई 2006)

श्री भावीन जैन के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत की गई कि उसके द्वारा दिनांक 30–11–2005 को छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा विधि विधायी कार्य विभाग से कुछ जानकारी मांगी गई थी। किन्तु उन्हें बिन्दु क्रमांक–1 रूल्स ऑफ बिजिनेस की प्रतिलिपि उन्हें 2–1–2006 को प्रदान की गई, जबकि बिन्दु क्रमांक–2 की कोई भी जानकारी नहीं दी गई।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने सामान्य प्रशासन विभाग के जन सूचना अधिकारी से रूल्स ऑफ बिजिनेस की प्रति तथा उच्च पद पर यदि निम्न पद का अधिकारी कार्यभार ग्राह्य हो तो क्या वह उच्च पद के लिए प्रत्यायोजित वैधानिक शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है। इस संबंध में शाासन का कोई आदेश, विधिक राय, परिपत्र, नियम, टीप, अभिमत, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आदि का विवरण तथा उसकी प्रति चाही गई। जन सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिन्दु क्रमांक–2 के संबंध में विधि विधायी विभाग से जानकारी मांगी गई। विधि विधायी विभाग ने आवेदक भावीन जैन को सूचित किया कि बिन्दु क्रमांक–2 के संबंध में विधि विभाग का कोई परिपत्र/आदेश जारी नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जानकारी संबंधित न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है। श्री भावीन जैन ने जानकारी समय पर न मिलने तथा अधूरी जानकारी मिलने के फलस्वरूप आयोग को शिकायत की।

आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग तथा विधि विभाग को नोटिस जारी किया गया। दोनों विभागों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। श्री भावीन जैन ने अपने तर्क में यह बतलाया कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिया गया जवाब एवं तर्क स्वीकार नहीं है, क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई जानकारी देने का दायित्व जन सूचना अधिकारी का है। जन सूचना अधिकारी, विधि विभाग के द्वारा बतलाया गया कि आवेदक के द्वारा मांगी गई जानकारी अभिमत है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना नहीं है। किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत विभाग का अभिमत नहीं दिया जा सकता है। आवेदक ने शाासन का आदेश, विधिक राय, परिपत्र, नियम, टीप, अभिमत, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आदि का विवरण तथा उसकी जानकारी मांगी। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी दस्तावेज की इतनी विस्तृत खोज की जाना वैधानिक दृष्टि से संभव नहीं है। आवेदक को किस दस्तावेज की प्रति चाहिए उसका उल्लेख अपने आवेदन पत्र में करना था। विधि विभाग के उक्त मत के साथ सामान्य प्रशासन विभाग ने यह स्पष्ट किया कि आवेदक को रूल्स ऑफ बिजिनेस की प्रति दी जा चुकी है तथा बिन्दु क्रमांक–2 के संबंध में कोई आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा आवेदक को कोई विधिक राय माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों को ढूंढकर नहीं दिया जा सकता। आवेदक को वास्तव में किस दस्तावेज की आवश्यकता है उसे स्पष्ट करना चाहिए।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिन्दु क्रमांक–1 रूल्स ऑफ बिजिनेस की प्रति आवेदक को दी जा चुकी है। बिन्दु क्रमांक–2 की जानकारी अस्पष्ट है, आवेदक ने स्पष्ट रूप से किस आदेश अथवा निर्णय की प्रति चाही है इसका उल्लेख नहीं किया है। आवेदक को शासन के परिपत्र अथवा लिये गये निर्णयों अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के किस आदेश की प्रति चाहिए, इसका स्पष्ट उल्लेख करना था। अतः आवेदक के द्वारा स्पष्ट उल्लेख न करने के फलस्वरूप उक्त जानकारी नहीं दी जा सकती। बिन्दु क्रमांक–1 की जानकारी आवेदक को दी जा चुकी है। इस प्रकरण में अर्थदण्ड दिये जाने का भी कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतः आवेदक की शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त